


(नियम 26)

जज अदालत अतिरिक्त जिला क्लर्क मुकाम झुन्झुनू
सुरक्षा अधिकारी जयसिंह यादव बनाम सुरेन्द्र कुमार पुत्र मदन लाल
किस्म मुकदमा FSSAI Act 2006 नं. 18 सन् 2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
27/5/22	<p>यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 एव सपाटेड धारा 2011 खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जयसिंह यादव द्वारा पेश करने पर बाद जांच प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। गैरसायल की तलबी जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 28.06.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>अति. जिला क्लर्क</i> <i>झुन्झुनू</i></p>	
28/6/22	<p>पत्रावली पेश हुई। आवेदक उपस्थित। अनावेदक स्वयं उपस्थित। मेरे द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अनावेदक द्वारा पेश जबाब प्रार्थना पत्र का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया।</p> <p>अनावेदक/अभियुक्त का कथन है, कि उसने मैन मार्केट सब्जी मण्डी, बगड़, झुन्झुनू में मै0 मुकेश कुमार अमित कुमार के नाम से फर्म कर रखी है जहां वह प्रतिष्ठित कम्पनीयों का माल बेचता है। अनावेदक ने बताया कि उसके यहां से सैम्पल लिया गया सरसों तेल भी प्रतिष्ठित कम्पनी का ही था। उसने अपने स्तर पर कोई मिलावट नहीं की है। अतः उसे धारा 26 (2) (II) का दोषी नहीं माना जाये।</p> <p>हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./380/एक्ट/2022/421/दिनांक 15.02.2022 के अनुसार खाद्य पदार्थ मस्टर्ड ऑयल में बाहरी निलम्बित पदार्थ (Extraneous Suspended matter) पाया गया है। जो एफ.एस.एस.ए की धारा 26 की उपधारा (2) (II) के उल्लंघन में आता है। चूँकि अनावेदक अपनी फर्म मै0 मुकेश कुमार अमित कुमार खुला मस्टर्ड ऑयल बेचता है अतः प्रकरण में खाद्य पदार्थ मस्टर्ड ऑयल के बाहरी निलम्बित पदार्थ (Extraneous Suspended matter) पाये जाने की स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र मदन लाल, मै0 मुकेश कुमार अमित कुमार, मैन मार्केट सब्जी मार्केट, बगड़, निवासी चावो विरो रोड़ बगड़, झुन्झुनू को धारा 26 की उपधारा (2) (II) को दोषी मानकर प्रकरण में अनावेदक को 5000/- पांच हजार रुपये अर्थदण्ड/जुर्माने से दण्डित किया जाता है। उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद में 15</p>	<p style="text-align: right;"><i>सुरेन्द्र कुमार</i></p> 

A-994 तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------------------	-----------------------------------	---

दिवस में जरिये चालान बैंक में जमा कराकर चालन की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को भिजवाये। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

अति-जिला कलक्टर
 झुंझुनू

अति-जिला कलक्टर झुंझुनू	अति-जिला कलक्टर झुंझुनू	अति-जिला कलक्टर झुंझुनू
----------------------------	----------------------------	----------------------------

अति-जिला कलक्टर झुंझुनू	अति-जिला कलक्टर झुंझुनू	अति-जिला कलक्टर झुंझुनू
----------------------------	----------------------------	----------------------------

अति-जिला कलक्टर झुंझुनू	अति-जिला कलक्टर झुंझुनू	अति-जिला कलक्टर झुंझुनू
----------------------------	----------------------------	----------------------------

अति-जिला कलक्टर झुंझुनू	अति-जिला कलक्टर झुंझुनू	अति-जिला कलक्टर झुंझुनू
----------------------------	----------------------------	----------------------------

अति-जिला कलक्टर झुंझुनू	अति-जिला कलक्टर झुंझुनू	अति-जिला कलक्टर झुंझुनू
----------------------------	----------------------------	----------------------------

अति-जिला कलक्टर झुंझुनू	अति-जिला कलक्टर झुंझुनू	अति-जिला कलक्टर झुंझुनू
----------------------------	----------------------------	----------------------------

अति-जिला कलक्टर झुंझुनू	अति-जिला कलक्टर झुंझुनू	अति-जिला कलक्टर झुंझुनू
----------------------------	----------------------------	----------------------------

अति-जिला कलक्टर झुंझुनू	अति-जिला कलक्टर झुंझुनू	अति-जिला कलक्टर झुंझुनू
----------------------------	----------------------------	----------------------------

अति-जिला कलक्टर झुंझुनू	अति-जिला कलक्टर झुंझुनू	अति-जिला कलक्टर झुंझुनू
----------------------------	----------------------------	----------------------------